

भारत का राजपत्र

The Gazette of India



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 522]
[No. 522]नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, नवम्बर 29, 2007/अग्रहायण 8, 1929
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 29, 2007/AGRAHAYANA 8, 1929

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2007

सा.क्र.नि. 738(अ).—केन्द्रीय सरकार, चीनी विकास निधि नियम, 1983 के नियम 19क के उप-नियम (11) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा चीनी मौसम 2006-07 के दौरान सृजित बफर स्टॉक के लिए बफर स्टॉक सहायकी की गणना के प्रयोजन के लिए जोन-वार स्टॉक (V) का मूल्य अधिसूचित करती है, जैसाकि नीचे सारणी में दर्शाया गया है, अर्थात् :-

सारणी

| क्रम सं. | जोन | मूल्य (रुपए प्रति टिवटल) |
|----------|---------------------------------------|--------------------------|
| (1). | (2) | (3) |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1365.91 |
| 2. | असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और नागालैंड | 1219.33 |
| 3. | बिहार (उत्तरी) | 1409.30 |
| 4. | गुजरात (दक्षिणी) | 1232.75 |
| 5. | गुजरात (सौराष्ट्र) | 1417.14 |
| 6. | हरियाणा | 1245.19 |
| 7. | उत्तर-पश्चिम कर्नाटक | 1345.33 |
| 8. | शेष कर्नाटक | 1290.68 |
| 9. | केरल, गोवा और तटीय कर्नाटक | 1429.37 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 1423.97 |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|------------------------|---------|
| 11. | महाराष्ट्र (दक्षिणी) | 1344.81 |
| 12. | महाराष्ट्र (उत्तरी) | 1318.16 |
| 13. | महाराष्ट्र (मध्य) | 1337.03 |
| 14. | पंजाब | 1284.17 |
| 15. | राजस्थान | 1373.25 |
| 16. | तमिलनाडु और पांडिचेरी | 1335.64 |
| 17. | उत्तर प्रदेश (मध्य) | 1330.77 |
| 18. | उत्तर प्रदेश (पूर्वी) | 1383.41 |
| 19. | उत्तर प्रदेश (पश्चिमी) | 1275.92 |

नोट : बफर सहायकी की गणना के प्रयोजन के लिए, 1-4-2007 से निजी कम्पनियों से लिए जाने वाले ब्याज की दर, जैसीकि आर्थिक कार्य विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट की गई है, 12% प्रति वर्ष होगी।

[फा. सं. 6-2/2007-लागत एकक]

अविनाश वर्मा, निदेशक (चीनी विकास निधि)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION.

New Delhi, the 29th November, 2007.

G.S.R. 738(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-rule (11) of rule 19A of the Sugar Development Fund Rules, 1983, the Central Government hereby notify the value of the stock (V) zone-wise for the purpose of calculation of buffer stock subsidy for the buffer

stock created during sugar season 2006-07, as indicated in the table below; namely:—

| TABLE | | |
|---------|---|-------------------------------|
| Sl. No. | Zone | Value (in Rupees per quintal) |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Andhra Pradesh | 1365.91 |
| 2. | Assam, Orissa, West Bengal and Nagaland | 1219.33 |
| 3. | Bihar (North) | 1409.30 |
| 4. | Gujarat (South) | 1232.75 |
| 5. | Gujarat (Saurashtra) | 1417.14 |
| 6. | Harayana | 1245.19 |
| 7. | North-West Karnataka | 1345.33 |
| 8. | Rest of Karnataka | 1290.68 |
| 9. | Kerala, Goa and Coastal Karnataka | 1429.37 |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|---------------------------|---------|
| 10. | Madhya Pradesh | 1423.97 |
| 11. | Maharashtra (South) | 1344.81 |
| 12. | Maharashtra (North) | 1318.16 |
| 13. | Maharashtra (Central) | 1337.03 |
| 14. | Punjab | 1284.17 |
| 15. | Rajasthan | 1373.25 |
| 16. | Tamil Nadu and Pondichery | 1335.64 |
| 17. | Uttar Pradesh (Central) | 1330.77 |
| 18. | Uttar Pradesh (East) | 1383.41 |
| 19. | Uttar Pradesh (West) | 1275.92 |

Note: For the purpose of calculation of buffer subsidy, the rate of interest is as specified by the Department of the Economic Affairs to be charged from the private companies shall be 12% per annum with effect from 1-4-2007.

[F. No. 6-2/2007-CC]
ABINASH VERMA, Director (SDF)